


कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून
 वनादेश सं० 11 / 1-12(15) देहरादून दिनांक, 13 जून, 2018

पदोन्नति / तैनाती

इस कार्यालय के पत्रांक 929/1-12(11) दिनांक 29-12-202017 द्वारा मानचित्रकार से प्रधान मानचित्रकार के पद पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति समिति का गठन किया गया था। पदोन्नति समिति की दिनांक 03-01-2018 को बैठक आयोजित की गयी। पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित मानचित्रकार वेतनमान रू० 35,400-1,12,400 वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 के कार्मिकों को प्रधान मानचित्रकार वेतनमान रू० 35,400-1,12,400 वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर उनकी तैनाती उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित कार्यालय में जनहित में की जाती है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान कार्यालय जिसमें कार्यरत है	पदोन्नति के उपरान्त तैनाती का कार्यालय	संयुक्ति
1	2	3	4	
1	श्री ओम प्रकाश सिंह	अ०प्र०व०सं० भू०सर्वे०निदेशालय देहरादून	अ०प्र०व०सं० भू०सर्वे०निदेशालय देहरादून	-
2	श्री तारा चन्द्र भट्ट	प्र०व०, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त हल्द्वानी	-
3	श्री सुरेश कुमार पाण्डे	प्र०व०, अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग रामनगर	प्र०व०, अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग रामनगर	जुलाई 2018 को सेवा निवृत्ति होने के फलस्वरूप

- उक्त कर्मचारियों द्वारा पदोन्नति का परित्याग करने पर उत्तराखण्ड शासन वित्त (वे०आ०-सा०नि०) अनुभाग-7 सं० 11/xxvii(7)30(14)/2017 दिनांक 17-02-2017 के संलग्नक-1 के बिन्दु सं० 22 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार अग्रतः कार्यवाही की जायेगी।
- संबंधित नियंत्रक अधिकारी उपरोक्त पदोन्नत कार्मिकों को प्रत्येक दशा में दिनांक 28-06-2018 तक कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपरोक्त तैनाती स्थल के लिए कार्यमुक्त कर देवे और यदि आवश्यकता पड़े तो "एक तरफा" अवमुक्त किया जाये।
- यदि संबंधित कार्मिक द्वारा निर्धारित तिथि तक पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान नहीं दिया जाता है तो संबंधित कर्म पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा।
- कार्मिक की पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान अथवा पदोन्नति स्वीकार न करने संबंधी सूचना इस कार्यालय व प्रमुख वन संरक्षक प्रशासन, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक HoFF उत्तराखण्ड, देहरादून को कार्मिक के अवमुक्त/योगदान के तत्काल पश्चात अर्थात् 30-06-2018 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाये।



 (मोनिष मल्लिक)
 प्रमुख वन संरक्षक
 मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक
 प्रबन्धन उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 11 / 1-12(15) दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- आदेश में अंकित समस्त कार्यालय।
- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- प्रमुख वन संरक्षक (प्रशासन), कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक HoFF, उत्तराखण्ड।
- संबंधित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
- आई०टी०जी०सी० मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट में अपलोड हेतु।
- अधिष्ठान/गार्ड बुक।

Himanshu do the needful.


 (मोनिष मल्लिक)
 प्रमुख वन संरक्षक
 मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक
 प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।

CCF (ITGC)

